

-2-

(3) श्री शिव नेताम्, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 12 सन् 1995) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(4) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 4 सन् 1995) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महस्त्र के विषय पर धर्मा

(1) प्रदेश में यूरिया खाद की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, कंकर मुजारे, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह तथा सुकीर्ति जैन, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

(2) प्रदेश की विभिन्न ज़िलों में अव्यवस्था से कैदियों की हो रही मृत्यु एवं उन्हें दी जा रही यातनाओं के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, कंकर मुजारे, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

मायाल : सत्रिव, मध्यप्रदेश विद्यान सभा
उक्त दिनांक : 2 अप्रैल, 1995